राजस्थान सरकार

# निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर।

क्रमांकःप.2 / लेखा–7 / विविध / 2016–17 /                    दिनांकः

## परिपत्र

सेवानिवृत कार्मिकों को अनुपयोजित उपार्जित अवकाश का भुगतान संबंधित DDO द्वारा स्वीकृति जारी करके मद 2071 से किया जाता है। मद 2071 के बजट का नियत्रंण आयुर्वेद विभाग स्तर से नहीं किया जाता है, इस कारण से इसमें होने वाले व्यय व भुगतान के संबंध में आवश्यक पर्यवेक्षण निदेशालय स्तर से नहीं हो पाता है। मद 2071 में होने वाले व्यय व भुगतान के प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए निम्न निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. अनुपयोजित उपार्जित अवकाश भुगतान की स्वीकृति जारी की जाकर बिल के साथ मूल प्रति कोषालय को **endorse** कर संलग्न की जावे। किसी भी स्थिति में स्वीकृति की फोटों प्रति के आधार पर बिल कोषालय को नहीं भेजा जावे। बिल के साथ नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी सेवानिवृति आदेश की प्रति भी संलग्न करे।
2. मद 2071 में होने वाले व्यय का मासिक रूप से अंक मिलान आई.एफ.एम.एस. राजकोष से किया जावे तथा यह सुनिश्चित किया जावे कि जो बिल आई.एफ.एम.एस. राजकोष में दर्शाये गये है वे सभी आपके कार्यालय के बिल रजिस्टर / टोकन रजिस्टर से मेल खाते है। इसमें किसी भी प्रकार की विभिन्नता होने की स्थिति में अन्तर का निराकरण करावे व रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को भिजवाये।
3. निम्न फार्मेट में अनुपयोजित उपार्जित अवकाश भुगतान रजिस्टर संधारित किया जाना सुनिश्चित करावेः–

| क्र. सं. | नाम कार्मिक | पद | सेवानिवृति दिनांक | स्वीकृति आदेश का क्रमांक / दिनांक | स्वीकृत राशि | बिल न. / बिल राशि | टी. वी. नं. | पी.पी. ओ. नं. | DDO के हस्ता. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

रजिस्टर की प्रविष्टियों की सत्यता की जांच संबंधित DDO द्वारा मासिक रूप से की जावें।

4. मद 2071 के व्यय की मासिक सूचना निदेशालय को नियमित रूप से भिजवाना सुनिश्चित करे। मासिक सूचना में आई.एफ.एम.एस. राजकोष से मिलान का प्रमाण पत्र अंकन करावे।

-Sd
(मनोज कुमार शर्मा )
*वित्तीय सलाहकार,*

क्रमांकःप.2 / लेखा–7 / विविध / 2016–17 / 14851                    दिनांकः 5-7-16

प्रतिलिपि समस्त आहरण वितरण अधिकारी आयुर्वेद विभाग को पालानार्थ।

② प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड हेतु

*वित्तीय सलाहकार,*